

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00245

श्रीमती कला बाई पत्नी भवानी शंकर जाति धाकड निवासी लाडपुरा वाया कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. पृथ्वीलाल आत्मज स्व० रघुनाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 1/1. मांगीलाल आत्मज स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/2. पप्पू आत्मज पृथ्वीलाल जाति पासवान निवासीगण पायका स्कूल के पास, सूरजपोल दरवाजे के पास, श्रीपुरा कोटा ।
 - 1/3. सुगना पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/4. मधु पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/5. रूकमणी पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/6. सीता बाई पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/7. शांति बाई पुत्री स्व० पृथ्वीलाल जाति पासवान निवासीगण ग्राम गरमोडी तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. मोहन आत्मज करणा जाति पासवान निवासी ए-7219 अनन्त स्टोन इन्द्रप्रस्थन इन्डस्ट्रीयल एरिया कोटा ।
3. गोपाल आत्मज करणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 3/1. पुष्पाबाई बेवा स्व० गोपाल ।
 - 3/2. भंवर आत्मज स्व० गोपाल ।
 - 3/3. राजू आत्मज स्व० गोपाल ।
 - 3/4. संजू आत्मज स्व० गोपाल जाति पासवान निवासीगण रोड नं० 05, गोबरिया बावडी कोटा ।
4. मुरली आत्मज करणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 4/1. मोहिनी बाई बेवा स्व० मुरली ।
 - 4/2. नन्द सिंह आत्मज स्व० मुरली ।
 - 4/3. विक्रम पुत्र आत्मज स्व० मुरली ।
 - 4/4. सोनू उर्फ सुरेन्द्र आत्मज स्व० मुरली जाति पासवान निवासीगण ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. गुड्डी बाई पत्नी स्व० सोहनलाल ।
6. जीतू पुत्र स्व० सोहनलाल ।
7. टीकम पुत्र सोहन लाल
8. रघु पुत्र स्व० सोहनलाल नाबालिग जरिये वली माता गुड्डी बाई पत्नी स्व० सोहनलाल जाति पासवान निवासीगण मकान नं० 2-छ-6, विज्ञान नगर कोटा ।
9. रामनाथी पत्नी स्व० नाथूलाल ।
10. भंवर सिंह पुत्र स्व० कल्याण ।

(Handwritten signature)

11. प्रहलाद पुत्र स्व० नाथूलाल ।
12. पप्पू पुत्र स्व० नाथूलाल जाति पासवान निवासीगण साजीदेहडा कोटा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2019/00349

श्रीमती कला बाई पत्नी भवानी शंकर जाति धाकड निवासी लाडपुरा वाया कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. पृथ्वीलाल आत्मज स्व० रघुनाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 1/1. मांगीलाल आत्मज स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/2. पप्पू आत्मज पृथ्वीलाल जाति पासवान निवासीगण पायका स्कूल के पास, सूरजपोल दरवाजे के पास, श्रीपुरा कोटा ।
 - 1/3. सुगना पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/4. मधु पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/5. रूकमणी पुत्री स्व० पृथ्वीलाल ।
 - 1/6. सीता बाई पुत्री स्व० पृथ्वीलाल
 - 1/7. शांति बाई पुत्री स्व० पृथ्वीलाल जाति पासवान निवासीगण ग्राम गरमोडी तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. मोहन आत्मज करणा जाति पासवान निवासी ए-7219 अनन्त स्टोन इन्द्रप्रस्थन इन्डस्ट्रीयल एरिया कोटा ।
3. गोपाल आत्मज करणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 3/1. पुष्पाबाई बेवा स्व० गोपाल ।
 - 3/2. भंवर आत्मज स्व० गोपाल ।
 - 3/3. राजू आत्मज स्व० गोपाल ।
 - 3/4. संजू आत्मज स्व० गोपाल जाति पासवान निवासीगण रोड नं० 05, गोबरिया बावडी कोटा ।
4. मुरली आत्मज करणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 4/1. मोहिनी बाई बेवा स्व० मुरली ।
 - 4/2. नन्द सिंह आत्मज स्व० मुरली ।
 - 4/3. विक्रम पुत्र आत्मज स्व० मुरली ।
 - 4/4. सोनू उर्फ सुरेन्द्र आत्मज स्व० मुरली जाति पासवान निवासीगण ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. गुड्डी बाई पत्नी स्व० सोहनलाल ।
6. जीतू पुत्र स्व० सोहनलाल ।
7. टीकम पुत्र सोहन लाल
8. रघु पुत्र स्व० सोहनलाल नाबालिग जरिये वली माता गुड्डी बाई पत्नी स्व० सोहनलाल जाति पासवान निवासीगण मकान नं० 2-छ-6, विज्ञान नगर कोटा ।

(Handwritten signature)

9. रामनाथी पत्नी स्व० नाथूलाल ।
10. भंवर सिंह पुत्र स्व० कल्याण ।
11. प्रहलाद पुत्र स्व० नाथूलाल ।
12. पप्पू पुत्र स्व० नाथूलाल जाति पासवान निवासीगण साजीदेहडा कोटा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

- उपस्थित :- 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.07.2021

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी की होने तथा समान पक्षकार होने एवं एक अपील प्रारम्भिक डिक्री की होने तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोंडन्ट क्रम 01 मृतक पृथ्वीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शंकरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 1.83 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 से 3 व प्रतिवादी क्रम 4, 5 व 6 के पति एवं पिता स्व० सोहनलाल एवं स्व० श्रीमती घींसी बाई के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे ।
4. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का पृथक से खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि पर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा उक्तानुसार पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।



5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2011 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.05.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।
7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 07.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्त श्रीमती कला बाई ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।
8. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2015 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी क्रम 13 के खाते 1.37 हैक्टर, प्रतिवारदी क्रम 3 के वारिसान के खाते 0.13 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 08 से 11 के खाते 0.32 हैक्टर तथा वादी के वारिसान के खाते 0.32 हैक्टर आराजी पृथक-पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं ।
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.2019 के द्वारा अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः अंतिम डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया ।
10. न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.08.2019 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई ।
11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 13 अपीलान्त श्रीमती कला बाई ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलें पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्त की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्यशुदा आराजी है जो अपीलान्त के एक मात्र खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि पर कब्जा भी अपीलान्त का ही है । अपीलान्त के विरुद्ध बेदखली की कोई डिक्री पारित नहीं की गई है । अपीलान्त द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2019 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में



अपील प्रस्तुत कर रखी है और प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत कर दी है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पत्रावली तलब कर ली गई है जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के हक अधिकार उक्त वाद की निरन्तरता में प्रस्तुत उक्त अपीलों में तय होने हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019 निरस्त फरमाये जावें।

12. अपीलान्त ने प्रारम्भिक डिक्री की अपील संख्या 19/00245 में अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत अपील में अपीलान्त व्यथित पक्षकार जिनको अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनया था। अपीलान्त उक्त अपील में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।
13. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्त अंतिम डिक्री में पक्षकार है और उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। प्रारम्भिक डिक्री में भी वह हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
14. अपीलान्त ने अपील संख्या 19/00245 में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्त ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है जो कि कानूनी प्रक्रिया को नहीं समझती है। अपीलान्त यह भी नहीं समझती कि दावे में दो पृथक-पृथक डिक्रियाँ पारित होती है। अपीलान्त को दिनांक 08 एवं 09.06.2015 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपने वकील साहब से मिलकर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्या किया जावे।
15. अपील अपीलान्त संख्या 19/00245 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील अपीलान्त संख्या 19/00349 दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
16. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.07.2011 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 19.08.2019 को अंतिम डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी करणा के वारिसान प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में रही है। रेस्पोंडेन्ट पृथ्वीलाल और उनके वारिसान, नाथूलाल एवं उनके वारिसान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही कोई उनका हित-निहित है। इस कारण 1/3 हिस्से की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। वादी एवं नाथूलाल का नाम जमाबन्दी में गलत रूप से दर्ज हो गया इस कारण उनको विभाजन एवं घोषणा का दावा लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.07.2011 को पारित किया है और डिक्री उससे पूर्व ही दिनांक 27.04.2011 के पारित की है। अपीलान्त के द्वारा प्रतिफल अदा कर इस अराजी को क्रय किया है। अपीलान्त इस आराजी की सद्भावी क्रेता है। अपीलान्त को प्रारम्भिक डिक्री की कोई जानकारी नहीं है।

अपीलान्त अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिला है । अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.04.2019 को पारित निर्णय से प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी मिली । तब प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील पेश की गई है । अंतिम डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.04.2019 की अनुपालना में पारित नहीं की गई है । अपीलान्त के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की हुई है और उस अपील में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई थी परन्तु पत्रावली राजस्व मण्डल में प्रेषित नहीं की गई और विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अपीलान्त को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विभाजन प्रस्ताव बनाते समय अपीलान्त को मौके पर उपस्थित होने का कोई नोटिस दिया गया है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आये हैं । कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्त संख्या 2019/00245 एवं 2019/00349 स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019 निरस्त फरमाये जावें ।

17. रेस्पोंडेंट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने पुनः बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की है और उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, कब्जे को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलान्त अपनी बहस में कथन करते हैं कि अंतिम डिक्री में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार नियमों की पालना नहीं की गई है कौनसे विशिष्ट खसरा नम्बर उनके कब्जे में है जो उनको नहीं दिये गये हैं । अपीलान्त सिर्फ प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्त संख्या 2019/00245 एवं 2019/00349 खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019 बहाल रखी जावें ।

18. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपील संख्या 2019/00245 में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्त ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

19. परीक्षण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं विभाजन का पेश किया गया था । उनके द्वारा यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त आराजी जो कि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है, रघुनाथ जी के खाते की थी । रघुनाथ जी के तीन पुत्र नाथूलाल, वादी और करणा हुए । पक्षकारान अपने हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज हैं । परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण रूप से सिर्फ करणा के वारिसों का नाम दर्ज है । अतः उन्हें 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन किया जावे ।

20. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श- 1 के अनुसार खसरा नम्बर 172 की 1.83 हैक्टर आराजी करणा के वारिसों के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी

प्रदर्श-2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 188 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा आराजी नाथू लाल, करणा एवं पृथ्वी के संयुक्त खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 188 और 197 के हाल खरसा नम्बर 172 रकबा 1.83 हैक्टर कायम किये गये हैं । नामान्तरकरण संख्या 105 प्रदर्श- 4 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है ।

21. इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में मोहनलाल एवं अन्य के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ जो अपील पेश की गई थी वो खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री को यथावत रखा है । ऐसी स्थिति में अब पुनः इसी निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट की प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । तदनुसार अपील अपीलान्ट विरुद्ध प्रारम्भिक डिक्री मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है ।
22. जहाँ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.04.2019 को प्रकरण राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर संलग्न बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया । बंटवारा प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये हैं और तहसीलदार के द्वारा उनको अग्रेषित किया गया है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारों के हिस्सों को पृथक-पृथक दर्शाते हुए पृथक स्याही का नक्शा भी नहीं बनाया गया है और पक्षकारों के मौके पर उपस्थिति के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये हैं । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।
23. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2019/00245 विरुद्ध प्रारम्भिक डिक्री खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 बहाल रखा जाता है । अपील अपीलान्ट संख्या 2019/00349 विरुद्ध अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
24. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(Handwritten Signature)
28/7/2021

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा